

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ 24/18, दिनांक : 24 नवम्बर -2018,

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-2254/18 दिनांक 25.10.2018 द्वारा दिनांक 26.11.18 से 30.11.18 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय, नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम/द्वितीय नोएडा की खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम नोएडा के पत्रांक-548/18 दिनांक 06.11.18 पर सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदया ने आदेशांक-2359/18, दिनांक 15.11.2018 द्वारा दिनांक 26.11.2018 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त दिवस की नोएडा पीठ में गठित खण्डपीठ निरस्त कर दी है।

पुनः श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम-नोएडा (सदस्य पीठ-2, नोएडा) के पत्र सं0 573/2018 दिनांक 26.11.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री महताब अहमद, न्यायिक सदस्य की सास का दिनांक 25.11.2018 को निधन हो जाने के कारण वह दिनांक 27.11.2018 को गठित खण्डपीठ में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। इसलिए दिनांक 27.11.2018 को गठित खण्डपीठ को निरस्त करते हुए उक्त दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री महताब अहमद का दिनांक 27.11.2018 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 27.11.2018 को नोएडा में गठित खण्डपीठ तदनुसार निरस्त की जाती है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

तदनुसार अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

27/11/18
(नरेन्द्र कुमार (IV)

एच0जे0एस0,

प्रभारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन) 2419 /2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, नोएडा पीठ-प्रथम/द्वितीय, नोएडा।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय प्रभारी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निवस्थक
25.11.18
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।